


पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण अनुपस्थित। वकील अप्रार्थीगण को बार-बार आवाज लगवायी गयी। बावजूद बार-बार आवाज लगाने वकील अप्रार्थीगण अथवा अप्रार्थीगण में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया। अतः वकील प्रार्थीगण की प्रकरण में एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अपनी काश्तकारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 07.06.2019 को करवा लिया है। अब प्रार्थीगण भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावी व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एव सीमाज्ञान दिनांकित 07.06.2019 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण सीमाज्ञान दिनांकित 07.06.2019 के मुताबिक भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता है कि :-

### आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम झिराणा तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 402 में प्रार्थी तथा पड़ोसी खातेदारान/काश्तकारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 07.06.2019 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी,  
नीमकाथाना